शीर्ष प्राथमिकता

प्रेषक,

प्रबन्ध निदेशक,
उ. प्र. अनु. जाति वित्त एवं विकास निगम लि.
बी0-912 सेक्टर सी महानगर, लखनऊ ।

सेवा में,

अपर जिला विकास अधिकारी (स.क.)/
जिलाप्रबन्धक,
उ. प्र. अनु. जाति वित्त एवं विकास निगम लि.
जनपद- इटावा, फतेहपुर, इलाहाबाद, फैजाबाद,
वाराणसी, मेरठ तथा लखनऊ ।

पत्रांक: 3240/ यो. अनु./90-91 दिनांक: 4 दिसम्बर, 1990

विषय:- स्वत: रोजगार योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक श्री जगन्नाथ सिंह, संयुक्त सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्रसंख्या-3455/स्पे. कम्पो. प्ला./26-3-90-25(1)/90 दिनांक: 24 नवम्बर, 1990 का संदर्भ प्राप्त करें । जिसके व्दारा विशेष केन्द्रीय सहायता की धनराशि से अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को स्वत: रोजगार योजना के लिये प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से मोटर आर्मेचर वाइडिंग, प्लम्बिंग एवं पाइप फिटिंग, इलेक्ट्रिशियन, मोटर साइकिल/स्कूटर मरम्मत, पम्पसेट मरम्मत तथा फाइबर ग्लास मोल्डिंग के प्रशिक्षण कार्यक्रम स्वीकृत किये गये हैं जिनका विवरण निम्नवत् है:-

क्र.सं.	नाम जनपद	प्रशिक्षण कार्य जो चलाये जाने हैं	संस्थान का नाम
1-	इटावा, फतेहपुर, इलाहाबाद, फैजाबाद, लखनऊ, वाराणसी मेरठ ।	मोटर आरमेचर वाइडिंग मोटर साइकिल स्कूटर मरम्मत तथा इलेक्ट्रिशियन ।	संबंधित जनपदों के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ।
2-	लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, इटावा ।	प्लम्बिंग एवं पाइप फिटिंग	,, ,,
3-	इलाहाबाद, वाराणसी लखनऊ	पम्पिंग सेट मरम्मत	,, ,,
4-	लखनऊ	फाइबर ग्लास मोल्डिंग	श्रमिक विद्यापीठ, लखनऊ ।

उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम शासनादेश में निर्धारित शर्तों के अनुरूप चलाये जायेगें ।

--/32

उपकरणों आदि का क्रय भण्डार क्रय के अनुसार न्यूनतम लागत पर किया जायेगा और क्रय से पूर्व सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त की जायेगी । उपरोक्त संदर्भित शासनादेश के संलग्नक"अ" पर योजनाओं के संचालन की नियमावली भी इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है ।

मोटर आर्मेचर बाइडिंग तथा प्लम्बिंग एवं पाइप फिटिंग के प्रशिक्षण की एक सत्र की अवधि 3 माह की होगी तथा वर्ष में केवल 2 सत्र संचालित किये जायेंगे। इलेक्ट्रिशियन, मोटर साइकिल/स्कूटर मरम्मत, पम्पिंग सेट मरम्मत तथा फाइबर ग्लास मोल्डिंग प्रशिक्षण के एक सत्र की अवधि 6 माह की होगी तथा वर्ष में 2 सत्र चलाये जायेगें । प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र पर 20 प्रशिक्षार्थियों को एक सत्र में प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा रू0200/-प्रतिमाह प्रति प्रशिक्षु वृत्तिका भी प्रदान की जायेगी ।

उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम यथाशीघ्र संचालित किये जा सकें, इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अन्तर्गत 10 दिसम्बर 1990 तक प्रत्येक दशा में लाभार्थियों का चयन, गठित समिति द्वारा सुनिश्चित कर लें तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम संबंधित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में दिनाँक: 17 दिसम्बर 1990 से प्रारम्भ करा दें । इस सम्बन्ध में आपको पूर्व में तार दिनाँक: 3 दिसम्बर भी भेजा जा चुका है। आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि आप स्वयं संबंधित संस्थानों के प्राचार्यों से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क स्थापित कर लें तथा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम निश्चित कर लें। प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की सूचना तत्काल मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित करें ।

संलग्नक-उक्त ।

भवदीय,

ह0/-

(जे0पी0आर्य)
महाप्रबन्धक(स0वि0)
कृते प्रबन्ध निदेशक ।

पृष्ठांकन संख्या 3240/ तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपिः-

1- संबंधित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्राचार्य को इस अनुरोध के साथ कि वह कृपया अपना पूर्ण सहयोग प्रदान कर प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ करवाने की कार्यवाही करें ।

2- निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उ0प्र0 गुरु गोविन्द सिंह मार्ग लखनऊ को शासनादेश की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया संबंधित संस्थानों के प्राचार्यों को अपने स्तर से भी इस संबंध में निर्देशित करने का कष्ट करें ।

3- संबंधित जिलाधिकारियों को सूचनार्थ ।

4- संयुक्त सचिव, हरिजन एवं समाज कल्याण, अनु.-3 (स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान सेल) उ. प्र. शासन को सूचनार्थ ।

5- महाप्रबन्धक (मू0 एवं अनु0) निगम मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि वह समय-समय पर योजना का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण सुनिश्चित करें ।

6- मुख्य वित्त एवम् लेखाधिकारी, निगम मुख्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(जे0पी0आर्य)
महाप्रबन्धक (स. वि.)
कृते प्रबन्ध निदेशक ।

शासनादेश सं. -3455/स्पे. कम्पो./26-3-90-25 (1)/90 दि. 24 नवम्बर, 1990 का

संलग्नक अ

(मोटर आरमेचर बाइण्डिंग प्लम्बिंग एवं पाइपफिटिंग्स, इलेक्ट्रीशियन, मोटर साइकिल/स्कूटर मरम्मत, पम्पिंग सेट मरम्मत तथा फाइबर ग्लास मोल्डिंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम योजनाओं की रूपरेखा/नियमावली)

1- इन योजनाओं के अन्तर्गत गरीबी की रेखा के नीचे निवास करने वाले उ.प्र. के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को प्रशिक्षण अनुमन्य होगा ।

2- अभ्यर्थी कक्षा आठ उत्तीर्ण होना चाहिये ।

3- अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिये ।

4- अभ्यर्थी बेरोजगार हो तथा किसी संस्था से छात्रवृत्ति न लेता हो ।

5-पूर्व में निगम अथवा अन्य किसी प्रशिक्षण योजनान्तर्गत प्रशिक्षण न प्राप्त किया हो।

6-अभ्यर्थियों का चयन चयन समिति द्वारा किया जायेगा जिसमें अपर जिला विकास अधिकारी(ह. क.)/जिलाप्रबन्धक, उ0प्र0 अनु0 जाति वित्त एवं विकास निगम, संबंधित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य अथवा उनके द्वारा नामित सदस्य तथा सहायक प्रबन्धक होंगे ।

7- उक्त ट्रेड्स के प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण की अवधि में रू. 200/- प्रतिमाह वृत्तिका देय होगी ।

8- प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में एक वित्तीय वर्ष में मोटर वाइण्डिंग तथा प्लम्बिंग प्रशिक्षण के तीन-तीन माह के दो सत्र तथा पम्पिंग सेट, मोटर साइकिल/स्कूटर मरम्मत, इलेक्ट्रीशियन तथा फाइबर ग्लास मोल्डिंग प्रशिक्षण के छः-छः माह के दो सत्र चलाये जायेंगे तथा प्रत्येक संस्थान/सत्र में 20 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे ।

9- उक्त कार्य दिवसों में प्रशिक्षार्थियों की उपस्थिति 80% या इससे अधिक होनी चाहिए अन्यथा वे वृत्तिका पाने के पात्र न होंगे ।

10- प्रशिक्षण के उपरान्त तत्संबंधी प्रशिक्षण का प्रमाणपत्र निर्गत किया जायेगा जिसपर संस्थान के प्राचार्य, अपर जिला विकास अधिकारी(ह. क.)/जिलाप्रबन्धक, उ. प्र. अनु. जाति वित्त एवं विकास निगम के हस्ताक्षर होंगे ।

11- संबंधित संस्थायें संलग्नकों में वर्णित मदवार फ्रैंट के अनुसार ही व्यय करेंगी और किसी भी दशा में इससे अधिक धन नहीं दिया जायेगा ।

12- अनावर्तक साज सज्जा निश्चित अवधि तक प्रयोग की जायेगी ।

ह./-

(जगन्नाथ सिंह)
संयुक्त सचिव ।